<u>कार्यालय आबकारी आयुक्त,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।</u>

संख्या--   /चौबीस--प्राविधिक नीति/इलाहाबाद:दिनांक:मार्च, 10   ,2011

समस्त जिलाधिकारी,
<u>जनपद, उत्तर प्रदेश।</u>

विषय:-- अफीम/मारफीन युक्त औषधियो को कैंसर रोग से पीडित रोगियों के उपचार हेतु उपलब्ध कराये जाने <u>के सम्बन्ध में।</u>

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री सुनील मित्रा, सचिव राजस्व वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र सं0 एन--13014/5/2010--एनसी--11 दिनांक 7.12.2010 द्वारा ध्यानाकर्षित किया गया है कि भारतवर्ष में कैन्सर के रोगियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। कैन्सर में नारकोटिक औषधियाँ यथा मारफीन एक दर्द निवारक के रूप में कार्य करती है, परन्तु इनकी सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो रही है। अतएव आवश्यक है कि प्रत्येक जनपद के कैन्सर से पीडित रोगियों के लिए ऐसी औषधियों की आपूर्ति हेतु समुचित व्यवस्था की जाय ।

2-- आप अवगत है कि उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली 1986 के नियम 8(1) के [illegible] जिलाधिकारी द्वारा शासकीय (रेलवे सहित) या किसी स्थानीय निकाय या अन्य निकायों द्वारा चलाये जा रहे किसी अस्पताल, औषधालय, परिचर्यागृह या चिकित्सा संस्था के उपयोग हेतु विनिर्मित औषधियों को एक सीमा तक रखने की अनुमति प्रदान की जा सकती है । उक्त नियमावली 1986 के नियम--17(2) के अन्तर्गत किसी भी औषधि विक्रेता को ऐसी नारकोटिक औषधियों के विक्रय हेतु आपके स्तर से एन0डी0एल0सी0 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है।

3-- अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आधार पर जनपद के शासकीय अस्पतालों नर्सिंग होम तथा औषधि विक्रेताओं को नारकोटिक औषधियों के सम्भरण /बिक्री करने हेतु यथा नियमानुसार अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें जिससे कैंसर से पीडित रोगियों को अपेक्षाकृत अधिक सरलता से औषधिया उपलब्ध हो सके।

(महेश कुमार गुप्ता)
आबकारी आयुक्त,उ0प्र0

संख्या-- 5876-6061 /चौबीस--प्राविधिक नीति/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1-- सचिव राजस्व वित्त मंत्रालय भारत सरकार।
2-- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,आबकारी विभाग,बापू भवन,लखनऊ।
3 प्रमुख सचिव, चिकित्सा/स्वास्थ्य,उत्तर प्रदेश शासन,विकास भवन, लखनऊ ।
4-- समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त,जोन्स,उत्तर प्रदेश।
5-- समस्त उप आबकारी आयुक्त,चार्जेज ,उत्तर प्रदेश।
6-- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश
7-- समस्त जिला आबकारी अधिकारी,जनपदवार, उत्तर प्रदेश।
8-- निदेशक, एस0जी0पी0आई0,लखनऊ तथा प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज कानपुर, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, मेरठ इलाहाबाद ।
9-- समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय ।

(महेश कुमार गुप्ता)
आबकारी आयुक्त,उ0प्र0